क्रम संख्या–193 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 13 नवम्बर, 2009 ई0
कार्तिक 22, 1931 शक सम्वत्

### उत्तराखण्ड शासन

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1

संख्या 1095/XVI(1)/09/01(78)/04
देहरादून, 13 नवम्बर, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0 प0 नि0–11

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत **"अधीनस्थ (समूह–तीन) सेवा"** के विभिन्न पदों में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

### उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–तीन) सेवा नियमावली, 2009

भाग– एक सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–तीन) सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति — 2. उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–तीन) सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट है।

**परिभाषायें**

3\. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:—

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी''**से निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अभिप्रेत है ;

(ख) ''**भारत का नागरिक''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) **''संविधान''** से ''भारत का संविधान'' अभिप्रेत है ;

(घ) **''निदेशक''** से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के निदेशक अभिप्रेत है ;

(ड.) ''**सरकार''**से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(च) **''राज्यपाल''** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(छ) **''सेवा का सदस्य''** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) **छंटनीशुदा कर्मचारी''** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है—

(एक) जिसने राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थाई, अथवा अस्थाई रूप में/ मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो ;

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो या किया जा सकता है, और

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा ।

(झ) **''सेवा''** से उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ग) सेवा अभिप्रेत है ;

(ञ) **''मौलिक नियुक्ति''** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो ;

(ट)''**भर्ती का वर्ष''** से किसी कलैण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;

## भाग– दो संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के साथ **परिशिष्ट"क"** में दी गई है ;

परन्तु यह कि :–

(एक) नियुक्त अधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे काई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते है, जिन्हें वह उचित समझें।

टिप्पणी– एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग और एक उप–अनुभाग से दूसरे उप–अनुभाग में व्यक्तियों का स्थानान्तरण अनुज्ञेय न होगा।

## भाग–तीन भर्ती

भर्ती का स्रोतः 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगीः–

| पद | भर्ती का स्रोत |
|---|---|

### खण्ड–क उद्यान विकास

| | |
|---|---|
| समूह तीन के पद | (एक) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से। |
| | (दो) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। |

## खण्ड–ख खाद्य प्रसंस्करण

समूह तीन के पद

(एक) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।

(दो) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

## खण्ड– ग प्रयोग और प्रशिक्षण

(एक) –उद्यान अनुसंधान
समूह तीन के पद

(क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।

(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) –<u>रसायन</u>
(रसायन/जैव–रासायनिकी/भेषजी/ऊतकपर्ण–टिसूलीफ विश्लेषण)
समूह तीन के पद

(क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई

परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।

(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(तीन)–<u>कीट विज्ञान</u>
**समूह तीन के पद**

(क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह ''घ'' के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।

(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

(चार)– <u>वनस्पति विज्ञान</u>
**(फल एवं सब्जी प्रजनन, विकृति विज्ञान, कवक विज्ञान, विषाणु विज्ञान,/शरीर–किया –विज्ञान/मशरूम/औषध)**

**समूह तीन के पद**

(क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह ''घ'' के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुमिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।

(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।

खण्ड–घ –प्रकीर्ण

(एक) प्रोजेक्ट प्रचालक — प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) डार्क रूम सहायक — प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण 6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जायेगा।

## भाग–चार अर्हताएं

राष्ट्रीयता 7. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, म्यांमार या किसी पूर्वी अफीक्री देश केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया, (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो ;

परन्तु,उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो ;

परन्तु यह और कि, श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अधिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले ;

परन्तु यह भी कि, यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

शैक्षिक अर्हताएं 8. सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की, **परिशिष्ट –"ख"** के स्तम्भ–2 में पदों के सामने दी गयी अर्हताऐं होनी आवश्यक हैं।

अधिमानी अर्हताएं 9. अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या,

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु 10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है, कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायं, पहली जुलाई को **परिशिष्ट "ख"** के स्तम्भ –3 में पद के सामने दी गयी न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो ;

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो ;

परन्तु, सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो, और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिये अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय– तीन में दिये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ;

परन्तु, विभागीय चयन समिति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

## भाग–पांच– भर्ती प्रक्रिया

**रिक्तियों का अवधारण** 14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

**सीधी भर्ती की प्रक्रिया** 15. (1) प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी।

(2) सीधी भर्ती करने के लिये आवेदन पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिये आवेदन पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्ररूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियाॅ अधिसूचित करेगा :–

(एक) ऐसे, दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट् पर सूचना चस्पा कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन जारी करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाॅ अधिसूचित करके।

(4) (एक) चयन के लिये एक लिखित परीक्षा होगी। छटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के लिये पाॅच अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची, लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों,छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो) (क) लिखित परीक्षा 300 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें दो प्रश्न–पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न–पत्र में 100 अंकों के सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न होगें तथा द्वितीय प्रश्न–पत्र में पद से सम्बन्धित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के पाठ्यक्रम स्तर के 200 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलैट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ग) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट **(Answer Sheet)** कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ) लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला **(Answer Key)** को उत्तराखण्ड की वैबसाइट **www.ua.nic.in** पर प्रदर्शित की जाएगी या दैनिक समाचार पत्र में, जिसका व्यापक परिचालन है,प्रकाशित किया जायेगा।

(5) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों, जिसमें छटनीशुदा कर्मचारियों हेतु अधिमान अंकों का जोड़ भी होगा, के कुल योग से, जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी।

**चयन समिति का गठन**

**16.** नियुक्ति प्राधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति गठित होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

| | |
|---|---|
| (एक) नियुक्ति प्राधिकारी | अध्यक्ष |
| (दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजतियों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गो से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा :– | सदस्य |
| (तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गो का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्ग का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गो का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य | |

पिछड़े वर्गो या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ; सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा ; सदस्य

**विभागीय कार्मिकों में से लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा**

17. समूह "घ" में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों, का जो इस सेवा नियमावली के नियम 5 "भर्ती का स्रोत" के अनुसार समूह–तीन के पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, चयन नियम 16 द्वारा गठित विभागीय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, तथा प्रश्न–पत्र में सम्बन्धित शाखा के समूह–तीन में कार्यरत् पद धारक द्वारा किये जाने वाले कार्य विषयक प्रश्न होगें। प्रवीणता सूची, सम्बन्धित कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

**फीस**

18. चयन के लिए अभ्यर्थियों से चयन समिति को ऐसी फीस देने की अपेक्षा की जायेगी, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय। फीस की वापसी के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक,सही उत्तरों का प्रदर्शन एवं प्रकाशन**

19. (1) जब चयन प्रकिया पूरी हो जाय और चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर दी जाय, तो चयनित अभ्यर्थी द्वारा चयन परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों का कुल योग, व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार–पत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा उत्तराखण्ड की वैबसाइट पर, जनपद के जिला कार्यालय और सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(2) सभी अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक (लिखित परीक्षा एवं छंटनीशुदा कर्मचारी के अंको को वर्गीकृत करते हुए) अधिकतम अंक के साथ अवरोही कम में (Descending Order) उत्तराखण्ड की वैबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेगें।

**अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखों का निरीक्षण**

20. अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय,भुगतान करने पर भाग चार व पॉच के अनुसार चयन समिति द्वारा की गयी चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित अभिलेखों और उसमें दिये गये अंकों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसी इच्छा व्यक्त करे तो उसे दो रूपये प्रति पृष्ठ की दर से फीस का भुगतान करने पर ऐसे अभिलेखों की फोटो प्रतियॉ भी दी जायेंगी।

## भाग—छः— नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

21\. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उप नियम (2) के अधीन रहते हुए उसी क्रम में करेगा, जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 या 17 के अधीन, तैयार की गयी सूचियों में हों।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख उस ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसी, यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिसमें उन्हें विभागीय समिति द्वारा नियुक्त किया जाय।

परिवीक्षा

22\. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेगें, अलग—अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अंत में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या सन्तोष प्रदान करने में वह अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर, किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रुप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

| | | |
|---|---|---|
| स्थायीकरण | 23. | ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में, उसकी नियुक्ति में, स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–<br>(क) उसका कार्य व आचरण सन्तोषप्रद पाया जाय;<br>(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और<br>(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है। |
| ज्येष्ठता | 24. | किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता,समय–समय पर यथा संशोधित, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। |

## भाग –सात—वेतन इत्यादि

| | | |
|---|---|---|
| वेतनमान | 25. | (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रुप में हो या अस्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।<br>(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान **परिशिष्ट–"क"** के स्तम्भ–4 में दिये गये है। |
| परिवीक्षा अवधि में वेतन | 26. | (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन–वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;<br><br>परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।<br>(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन; सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा ; |

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायीं जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन,राज्य के कार्यकलाप के सन्दर्भ में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

## भाग–आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 27. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 28. ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हो, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता 29. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 30. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट—'क'

(नियम 4(2) और 25(2) देखिए)

| शाखा का नाम | अनुभाग / उप अनुभाग का नाम | समूह—तीन के पदों का नाम | वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| क—उद्यान विकास शाखा समूह तीन के पद | — | उद्यान पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / क्षेत्रिक (फील्डमैन) / उद्यान निरीक्षक समूह तीन / सहायक आलू विकास निरीक्षक / अधीनस्थ उद्यान सेवा समूह—तीन / फार्म पर्यवेक्षक / सब्जी उत्पादन पर्यवेक्षक / सहायक उद्यान निरीक्षक / बीज उत्पादन पर्यवेक्षक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—2000 / — | 319 |
| ख—खाद्य प्रसंस्करण समूह तीन के पद | — | पर्यवेक्षक / कनिष्ठ अनुदेशक / प्राविधिक सहायक / प्रयोगशाला सहायक / सहायक अनुदेशक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—2000 / — | 55 |
| ग—प्रयोग और प्रशिक्षण उद्यान उप अनुभाग— 1—उद्यान शोध समूह तीन के पद | उद्यान अनुसंधान | पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय सहायक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—2000 / — | 11 |
| | | प्रयोगशाला सहायक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—1900 / — | 3 |
| | रसायन (रसायन / जीव रसायन भेषजी / उत्तक पर्ण विश्लेषण) | क्षेत्रिक (फील्डमैन) / प्रयोगशाला सहायक / पर्यवेक्षक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—2000 / — | 3 |
| | | प्रयोगशाला सहायक | 5200—20200 तथा ग्रेड वेतन—1900 / — | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कीट विज्ञान | पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला सहायक / क्षेत्रिक / सहायक मधुमक्खी विकास निरीक्षक / सहायक मधुमक्खी विशेषज्ञ / मधुमक्खी प्रदर्शक / मधुमक्खी पालन रक्षक / एपियरी कीपर / मधुमक्खी छत्ता काष्ठ शिल्प प्रदर्शक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन–2000 / – | 12 |
| | | मधुमक्खी पालक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन–1900 / – | 5 |
| | वनस्पति विज्ञान (फल एवं सब्जी प्रजनन / सूक्ष्म जीव विज्ञान / रोग विज्ञान / विषाणु विज्ञान / मशरूम / पादप शरीर क्रिया विज्ञान / शरीर क्रिया विज्ञान औषध) | पर्यवेक्षक / सहायक मशरूम उत्पादक / क्षेत्रिक / प्रयोगशाला प्राविधिक / प्रयोगशाला सहायक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन–2000 / – | 10 |
| | | प्रयोगशाला सहायक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन–1900 / – | 2 |
| (घ)–प्रकीर्ण अनुभाग | | प्रोजेक्टर प्रचालक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन– 2000 / – | 2 |
| | | डार्क रूम सहायक | 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन–1900 / – | 1 |

## परिशिष्ट–'ख'

### (नियम 8 और 10 देखिए)

| पद | शैक्षिक अर्हता | | न्यूनतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| **भाग–क**<br>**उद्यान विकास**<br>**समूह–तीन के पद**<br>(उद्यान पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / क्षेत्रिक (फील्डमैन) / उद्यान निरीक्षक समूह–तीन / सहायक आलू विकास निरीक्षक / अधीनस्थ उद्यान सेवा समूह–तीन / फार्म पर्यवेक्षक / सब्जी उत्पादन पर्यवेक्षक / सहायक उद्यान निरीक्षक / बीज उत्पादन पर्यवेक्षक) | अनिवार्य | बी0एस0सी (कृषि) अथवा बी0एस0सी0 (उद्यान) अथवा बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान समूह) | 21 वर्ष |
| **भाग–ख**<br>**खाद्य प्रसंस्करण**<br>**समूह–तीन के पद–**<br>(कनिष्ठ अनुदेशक / पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला सहायक / प्राविधिक सहायक / सहायक अनुदेशक) | अनिवार्य | खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इण्टरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में एक वर्षीय डिप्लोमा और पाक कला, बेकरी, और कन्फैक्शनरी में पदों के लिए अपने–अपने व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा के साथ इण्टरमीडिएट। | 18 वर्ष |
| | अधिमानी | होटल मैनेजमैन्ट में डिप्लोमा। | |
| **भाग–ग**<br>**प्रयोग और प्रशिक्षण** | | | |
| **(क) उद्यान अनुसंधान**<br>**समूह–तीन के पद–**<br>(पर्यवेक्षक / प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय सहायक | अनिवार्य | बी0एस0सी0(कृषि) या बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान समूह)। | 21 वर्ष |
| प्रयोगशाला सहायक | अधिमानी | एम0एस0सी0 (उद्यान) | |
| **(ख) रसायन**<br>**समूह–तीन के पद–**<br>क्षेत्रिक (फील्डमैन) / प्रयोगशाला सहायक / पर्यवेक्षक | अनिवार्य | रसायन या भूमि / मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बी0एस0सी0 या बी0एस0सी0 (कृषि –मृदा विज्ञान) | 21 वर्ष |
| प्रयोगशाला सहायक | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **(ग) कीट विज्ञान**<br>**समूह–तीन के पद–** | | | |
| (1)पर्यवेक्षक/ प्रयोगशाला सहायक/ क्षेत्रिक/सहा0मधुमक्खी विकास निरीक्षक/ सहायक मधुमक्खी निरीक्षक/मधुमक्खी प्रदर्शक/मधुमक्खी पालन रक्षक/एपियरी कीपर) | अनिवार्य | बी0एस0सी0 (जीव विज्ञान) या बी0एस0सी0(कृषि–कीट विज्ञान) | 21 वर्ष |
| | अधिमानी | कीट विज्ञान में विशेष पत्र के साथ जीव विज्ञान में एम0एस0सी0 (कीट विज्ञान में) / एम0एस0सी0 (कृषि–कीट विज्ञान) | |
| (2)मधुमक्खी पालक | अनिवार्य | मधुमक्खी पालन में (कम से कम) तीन महीने का प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र के साथ इण्टरमीडिएट (विज्ञान) या इण्टरमीडिएट (कृषि)। | 18 वर्ष |
| | अधिमान | मधुमक्खी पालन में एक वर्ष का अनुभव। | |
| (3)मधुमक्खी छत्ता काष्ठशिल्प प्रदर्शक | अनिवार्य | हाईस्कूल के साथ काष्ठशिल्प में आई0टी0आई0/पालिटैक्निक प्रमाण –पत्र/डिप्लोमा। | 18 वर्ष |
| | अधिमानी | मधुमक्खी के छत्ते और मधुमक्खी पालन के संबद्व अन्य उपसाधनों को बनाने के लिए काष्ठशिल्प में अनुभव। | |
| **(घ) वनस्पति विज्ञान**<br>**समूह–तीन के पद–**<br>(पर्यवेक्षक/सहायक मशरूम उत्पादक/ क्षेत्रिक/प्रयोगशाला प्राविधिक | अनिवार्य | बी0एस0सी0 (वनस्पति विज्ञान समूह) या बी0एस0सी0(कृषि, वनस्पति/ कवक विज्ञान) | 21 वर्ष |
| प्रयोगशाला सहायक | अधिमानी | एम0एस0सी0 (कवक विज्ञान) या एम0एस0सी0 (विज्ञान) या संबंद्ध विषय में विशेष पत्र के साथ एम0एस0सी0। | |
| **भाग–घ–प्रकीर्ण** | | | |
| (1) प्रोजेक्टर प्रचालक | अनिवार्य | हाईस्कूल और प्रोजेक्टर के परिचालन का एक वर्ष का अनुभव। | 18 वर्ष |
| (2) डार्क–रूम सहायक | अनिवार्य | हाईस्कूल और फोटोग्राफी के डेवलपिंग और प्रिंटिंग का एक वर्ष का अनुभव। | 18 वर्ष |

आज्ञा से,

**विनोद फोनिया,**

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 1095/XVI(1)/09/01(78)/04, dated November 13, 2009 for general information:

No. 1095/XVI(1)/09/01(78)/04
*Dated Dehradun, November 13, 2009*

## NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Horticulture and Food Processing Subordinate (Group III ) Service

## The Uttarakhand Horticulture and Food Processing Subordinate (Group III) Service Rules, 2009

### Part-I—General

**Short title and commencement** 1. (1)These rules may be called "The Uttarakhand Horticulture and Food Processing Subordinate (Group III) Service Rules, 2009"

(2) These rules shall come into force at once.

**Status of the service** 2. The Uttarakhand Horticulture and Food Processing Subordinate (Group III) Service is a State Government service-comprising Group "C" post.

**Definitions.** 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:

(a) "Appointing Authority" means the Director; Department of Horticulture and Food Processing;

(b) "Citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(c) "Constitution" means the Constitution of India;

(d) "Director" means the Director, Department of Horticulture and Food Processing, Uttarakhand;

(e) " Government" means the State Government of Uttarakhand;

(f) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;

(g) "Member of the Service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) Retrenched officials means a person-

(1) Who has rendered continuous service for a total minimum period of one year on a post under the rule making power of the Governor, in permanent, temporary or officiating capacity;

(2) Whose services are or may be dispensed with due to reduction in or winding up of the establishment, and

(3) In respect of whom the Appointing Authority has issued a certificate of being a retrenched employee, but does not include a person employed on ad-hoc basis.

(i) "Service" means the Uttarakhand Horticulture and Food Processing Subordinate (Group III) Service;

(j) "Substantive appointment" means an appointment, not being an ad-hoc appointment on a post in the cadre of the Service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government, and

(k) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

## Part-II—Cadre

**Cadre of service**

**4.** (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix "A"

Provided that :-

**(i)** The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation; or

**(ii)** The Governor may create such additional permanent or temporary posts from time to time as he may consider proper,

**Note**- Transfer to persons from one section to another section and from one sub-section to another sub-section shall not be permissible.

## PART-III-RECRUITMENT

**Source of recruitment**

**5.** Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following sources: -

| **Designation** | **Source of recruitment** |
|---|---|
| | **Section-A-Horticulture Development** |
| **Group-III Posts.** | (i) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee. |
| | (ii) 80 percent by direct recruitment through competitive examination. |

**Section-B- Food Processing**

| | | |
|---|---|---|
| **Group-III Posts.** | (i) | 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee. |
| | (ii) | 80 percent by direct recruitment through competitive examination. |

**Section –C- Experiment and Training**

| | | |
|---|---|---|
| **(i)Horticulture Research Group-III posts.** | (a) | 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent thereto and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee. |
| | (b) | 80 percent by direct recruitment through competitive examination. |
| **Group-III Posts.** **(ii) Chemistry (Chemistry/ Bio-Chemistry/ Pharmacy/ Tissue Leaf Analysis)** | (a) | 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent thereto and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee. |
| | (b) | 80 percent by direct recruitment through competitive examination. |

**(iii) Entomology Group-III posts.**

(a) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent thereto and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee.

(b) 80 percent by direct recruitment through competitive examination.

**(iv) Botany (Fruit and Vegetable Breeding, Pathology, Mycology, Virology, Physiology/Mushroom/ Drugs)**

**Group-III Posts.**

(a) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employees, who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand /Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent thereto and have completed five years of service on their respective posts on the first day of the year of recruitment on the basis of objective type written examination through selection by Departmental Selection Committee.

(b) 80 percent by direct recruitment through competitive examination.

**Section- D – Miscellaneous**

**(i)Projecter Operator** — By direct recruitment through competitive examination.

**(ii) Dark Room Assistant** — By direct recruitment through competitive examination.

**Reservation** 6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories, belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

## PART- IV QUALIFICATIONS

**Nationality** 7. Candidate for direct recruitment to a post in the Service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before I$^{st}$ January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated frcm Pakistan, Burma, Srilanka, Myanmar or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government;

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

**Academic qualifications** 8. A candidate for direct recruitment to various posts in the Service must possess the qualifications mentioned against the posts in column-2 of Appendix B.

**Preferential qualifications**

9. A candidate who has—

(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or—

(ii) Obtained a 'B' certificates of National Cadet Corps, shall, other things being equal preference be given in the matter of direct recruitment.

**Age**

10. A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age mentioned against the post in column 3 of Appendix-B and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies are advertised;

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

**Character**

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government service. The Appointing Authority shall satisfy itself on this point.

**Note:** - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service, persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

**Marital status**

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

**Physical fitness**

**13.** No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily, health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10, contained in Chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, part III ;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by Department Selection Committee.

## PART-V PROCEDURE FOR RECRUITMENT

**Determination of vacancies .**

**14.** The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories, under rule 6.

**Procedure for direct recruitment**

**15.** **(1)** Competitive examination shall be conducted by the Appointing Authority.

(2) The form of application for direct recruitment shall be published by the appointing authority in two such daily newspapers, having wide circulation.

**(3)** For direct recruitment, the Appointing Authority shall invite applications in the form published in sub-rule (1), in the following manner and notify the vacancies.

**(i)**-by issuing advertisement in such two daily newspapers, having wide circulation,

**(ii)**-by pasting the notice on the notice board of the office or advertisement through Radio/Television and other Employment News papers, and

**(iii)**-by notifying the vacancies to the Employment Exchange,

**(4)** The application form shall not be published again while notifying the vacancies under the sub-rule (3).

**(5)** **(i)**-For selection, a written examination shall be conducted. Retrenched employees shall be awarded 5 marks for each completed year of service subject to maximum of 15 marks. Merit list shall be prepared on the basis of aggregate of the marks obtained in the written examination, preferential marks for retrenched employees and other evaluations.

**(ii)-(a)** Objective type written examination shall carry 300 marks, comprising two question papers. I$^{st}$ paper will be of 100 marks which will include questions on General Hindi, General Knowledge and Genral Studies and IInd paper will be of 200 marks comprising questions on the syllabus of essential qualifications related to the posts.One mark shall be awarded for every correct answer and $^1/_4$ mark shall be deducted for every incorrect answer as negative marking.

**(b)** After the examination is over, the candidates shall be permited to carry back the Question Booklet of the written examination with them.

**(c)** The Answer Sheet of the written examination will be in duplicate (including the carbon copy) and the candidate shall be permited to carry back duplicate copy with him after the written examination.

**(d)** The Answer key of the written examination shall be displayed on the **Uttarakhand website www.ua.nic.in** or published in daily newspaper, having wide circulation.

**(6)** After the result of the written examination is received, the merit list (Final Selection list) shall be

prepared by the Selection Committee on the basis of proficiency as disclosed by the aggregate of the marks obtained in the written examination and other evaluations, including the preferential marks awarded to the retrenched employees. If two or more candidates obtain equal marks in the aggregate candidates senior in age shall be placed higher in the selection list. The number of names in the list shall be more (But not more then 25 percent) than the number of vacancies.

**Constitution of selection committee**

**16.** A selection committee will be constituted under the chairmanship of the Appointing Authority, comprising the following:

**(i)** Appointing authority **Chairman**

**(ii)** An officer belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, nominated by The Chairman, if the Chairman Does not belong to Scheduled Castes, Scheduled Tribes. If the Chairman belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes he shall nominate an officer belonging to other than the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or other Backward Classes. **Member**

**(iii)** An officer, belonging to Other Backward Classes, shall be nominated by the Chairman if the Chairman does not belong to Other Backward Classes, if the Chairman belongs to Other Backward Classes' officer belonging to other than Backward Classes or Scheduled Cast's or Scheduled Tribes shall be nominated by the Chairman. **Member**

**(iv)** The Chairman shall nominate an Officer having adequate knowledge in the related field according to the requirement of the post for which recruitment is to be made. **Member**

**Selection of departmental candidates through written examination**

17. The selection of such serving group "D" employees having prescribed qualifications for selection to Group III posts in accordance with rule 5 "Source of recruitment" of the service rules, the recruitment shall be made by the Departmental Selection Committee constituted under rule 16 through written examination. Written examination will be of 50 marks carrying objective type questions related to the work done by the serving Group III employee of the concerned Branch. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the concerned employee.

**Fee**

18. For selection the candidates shall be required to pay such fee to the Selection Committee as may be determined by the Government from time to time. No claim for refund of the fee will be entertained.

**Display and publication of marks and correct answers obtained by the candidates**

19. (1)When the selection procedure is complete and the selection list is forwarded to the Appointing Authority, the aggregate of marks obtained by the selected candidate shall be published in widely circulates newspaper and displayed on the Uttarakhand website and also on the notice boards of district office and concerned office.

(2) The aggregate of marks obtained by the candidates (marks obtained in the written examination and marks of attained by retrenched employee category wise) and maximum marks will be displayed in descending order on the **Uttardkhand website WWW.ua.nic.in.**

**Inspection of records by the candidates**

20. Candidates will be permited to inspect the records pertaining to the selection process and marks awarded therein by the Selection Committee according to part IV & V by paying such fee as may be determined by Government from time to time. The candidate, if he so desires shall be provided the photocopies also of such records on payment of fee at the rate of Rs. 2/- per page.

## PART-VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

**Appointment** **21.** (1)Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15 or 17.

(2) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, in the cadre from which they are appointed by the Departmental Selection committee.

**Probation** **22.** (1) A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

**Confirmation** 23. Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if –

(a) His work and conduct are found to be satisfactory,

(b) His integrity is certified and

(c) The Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

**Seniority** 24. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants, Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

## PART- VII-PAY ETC.

**Pay Scales** 25. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in substantive or officiating or temporary capacity shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of commencement of these rules are given in Colums 4 of **Appendix –A.**

**Pay during probation Period**

**26.** **(1)** Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

**(2)** The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise:

**(3)** The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by relevant rules applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

## PART- VIII- OTHER PROVISIONS

**Canvassing**

**27.** No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

**Regulation of other matters** **28.** In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of the State.

**Relaxation from the conditions of service** **29.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the condition of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements or that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings **30.** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

## Appendix-'A'

**(See Rule 4(2) and 25(2)**

| Name of Section/ Sub-Section | Designation | Pay Scale | No. of Posts |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **A-Horticulture Development Branch**<br>**Post of Group-III** | Horticulture Supervisor / Supervisor/ Field man / Horticulture Inspector Group-III / Assistant Potato Development Inspector /Subordinate Horticulture Service Group-III/. Farm supervisor / Vegetable Production supervisor/ Assistant Horticulture Inspector/ Seed Production Supervisor | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 319 |
| **B-Food processing Post of Group III** | Supervisor/ Junior Instructor/ Technical Assistant/ Laboratory Assistant/ Assistant Instructor | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **C- Experiment and Training Horticulture sub section**<br>**1- Horticulture Research Post of Group III** | Supervisor/ Laboratory and Field Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 11 |
| | Laboratory Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 1900/- | 3 |
| **2- Chemistry/ Bio-Chemistry/ Pharmacy/ Tissue Leaf Analysis sub-section Post of Group III** | Fieldman/ Laboratory Assistant/ Supervisor | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 3 |
| | Laboratory Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 1900/- | 1 |
| **3-Entomology sub-section Post of Group III** | Supervisor/ Laboratory Assistant/<br>Field man/ Assistant Bee Development Inspector/<br>Assistant Bee Specialist/ Bee Demonstrator/<br>Apiary Keeper/ Bee-Apiarist/ Beehives Woodcraft Demonstrator | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 12 |
| | Bee Keeper | 5200-20200<br>Grad salary- 1900/- | 5 |
| **4- Fruit and Vegetable Breeding /Mycology/ Pathology/ Virology/ Mushroom/ Plant Physiology/ Physiology/ Physiology Drug Post of Group III** | Supervisor/<br>Assistant Mushroom Productioner/<br>Fieldman/<br>Laboratory Technician/<br>Laboratory Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 10 |
| | Laboratory Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 1900/- | 2 |
| **Miscellaneous section** | Projector Operator | 5200-20200<br>Grad salary- 2000/- | 2 |
| | Dark Room Assistant | 5200-20200<br>Grad salary- 1900/- | 1 |

# APPENDIX-'B'

**(SEE RULES 8 AND 10)**

| Post | Qualification | | Minimum Age |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| **Section-A Horticulture Development Group-III posts** | **Essential** | B.Sc. (Ag) or B.Sc. (Horticulture) or B.Sc. (Biology Group) | 21 years |
| **Part-B** Food processing **Group-III Posts** Junior Instructor/ Supervisor/ Laboratory Assistant/ Technical Assistant/ Assistant Instructor. Community Canning Center. | **Essential** | Intermediate in Science or Agriculture, with one-year diploma in food processing for posts in Food preservation and Intermediate with one-year diploma in respective trades for the post in Cookery-Bakery and Confectionary. | 18 years |
| | **Preferential** | Diploma in Hotel Management. | |
| **Part-C Experiment and Training** **(1) post under Horticulture Research (Group-III)** | **Essential** | B.Sc. (Ag.) or B.Sc. (Biology Group) | 21 years |
| | **Preferential** | M.Sc. (Horticulture) | |
| **(2) Post under Chemistry (1) (Group-III)** | **Essential** | B.Sc. with Chemistry or Land/ Soil Chemistry or Agricultural Chemistry or B.Sc. (Ag.-Soil Science) | 21 years |
| **(3) Post under Entomology (1) (Group-III)** | **Essential** | B.Sc. (Biological) or B.Sc. (Ag.-Entomology) | 21 years |
| | **Preferential** | M.Sc. (Biological Science with special paper in Entomology) or M.Sc. (Ag.-Entomology) | |

| 1 | 2 | | 3 |
|---|---|---|---|
| **(2) Group III posts related to Bee Keeping** | **Essential** | Intermediate (Science) or Intermediate (Ag.) with at least 03 months training certificate in Bee Keeping. Preference shall be given to those having one-year practical experience in Bee keeping. | 18 years |
| **(3) For the post of Instructor/ Demonstrator (Beehive, Wood Craft) Group-III** | **Essential** | High School with I.T.I./ Polytechnic certificate/ diploma in wood Craft. | 18 years |
| | **Preferential** | Experience in Wood Craft for making beehives and other accessories pertaining to Bee-Keeping. | |
| **(4) <u>Botany-</u> Fruit & Vegetable Breeding / Plant Physiology/ Mycology/ Mushroom/Drug (Group-III)** | **Essential** | B.Sc. (Botany Group) or B.Sc. (Ag.- Botany/ Mycology). | 21 years |
| | **Preferential** | M.Sc. (Mycology) or M.Sc. with Special Paper in The concerned subject. | |
| **<u>Part D- Miscellaneous</u>** Projector Operator/ | | High School and one years experience of operation of projector. | 18 years |
| Dark Room Assistant | | High School and one years experience of developing and printing of photographs. | 18 years |

By Order,

VINOD FONIA,

*Secretary.*

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1
संख्या– 2459/XIII-1/2020–01(78)2004
देहरादून दिनांक 20 नवम्बर, 2020

## कार्यालय–ज्ञाप

अधिसूचना संख्या– 2459/XIII-1/2020–1(78)2004, दिनांक 20 नवम्बर,2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह 'ग') सेवा (संशोधन) नियमावली,2020 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कूमायूं मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य उद्यान अधिकारी/जिला उद्यान अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(डा0 राम विलास यादव)
अपर सचिव।

1-UO 2020 Horti

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1
संख्या–2459 /XVI-1/20/1(78)/2004
देहरादूनः दिनाक 20नवम्बर, 2020

## अधिसूचना

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–ग) सेवा नियमावली, 2009 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: –

## उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020

| | | |
|---|---|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–ग) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2020 है। |
| | | (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| नियम 5 का संशोधन | 2. | उत्तराखण्ड उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधीनस्थ (समूह–ग) सेवा नियमावली, 2009(जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के खण्ड –क, खण्ड–ख, खण्ड–ग,(एक), (दो) (चार) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:– |

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम |
| खण्ड–क–उद्यान विकास<br>(समूह तीन के पद) | खण्ड–क–उद्यान विकास<br>(समूह तीन के पद) |
| (एक) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर– प्रदेश/ विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समित द्वारा चयन के माध्यम से।<br><br>(दो) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के | (एक) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में उद्यान विकास समूह तीन के पद संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के **पच्चीस प्रतिशत** रिक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह'घ' के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा।<br>परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा |

| | |
|---|---|
| आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | ... अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा सकेगा। चूँकि समूह 'घ' मृत संवर्ग घोषित है, अतः इस वर्ग के समस्त पात्र कार्मिकों के प्रोन्नत होने की दशा में भविष्य में प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।<br><br>(दो) **पचहत्तर प्रतिशत** उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। |
| **खण्ड–ख–खाद्य प्रसंस्करण शाखा (समूह तीन के पद)** | **खण्ड–ख–खाद्य प्रसंस्करण शाखा (समूह तीन के पद)** |
| (एक) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर– प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।<br>(दो) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | (एक) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में खाद्य प्रसंस्करण शाखा समूह तीन के पद संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के पच्चीस प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह'घ' के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा:<br>परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। चूँकि समूह 'घ' मृत संवर्ग घोषित है, अतः इस वर्ग के समस्त पात्र कार्मिकों के प्रोन्नत होने की दशा में भविष्य में प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।<br><br>(दो) पचहत्तर प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। |
| **खण्ड–ग प्रयोग और प्रशिक्षण<br>(एक) उद्यान अनुसंधान समूह तीन के पद** | **खण्ड–ग प्रयोग और प्रशिक्षण<br>(एक) उद्यान अनुसंधान समूह तीन के पद** |
| (क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक | (क) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में उद्यान अनुसंधान समूह तीन के पद संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के पच्चीस |

-2-

| | |
|---|---|
| शिक्षा परिषद उत्तर- प्रदेश/विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने-अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।<br>(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | प्रतिशत रिक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वा समय-समय पर जारी किये गये सरका आदेशों के अनुसार उस कार्यालय व समूह'घ' के ऐसे कर्मचारियों जिन्हों उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद क हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसव समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीण कर ली हो में से, 15 प्रतिशत ज हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा।<br>परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। चूँकि समूह 'घ' मृत संवर्ग घोषित है, अतः इस वर्ग के समस्त पात्र कार्मिकों के प्रोन्नत होने की दशा में भविष्य में प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।<br>(ख) पचहत्तर प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। |
| **(दो) रसायन<br>(रसायन/जैव-रासायनिकी/भेषजी/ ऊतकपर्ण-टिसूलीफ विश्लेषण)<br>समूह तीन के पद** | **(दो) रसायन<br>(रसायन/जैव-रासायनिकी/भेषजी/ऊतक पर्ण-टिसूलीफ विश्लेषण)<br>समूह तीन के पद** |
| (क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर- प्रदेश/ विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने-अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।<br>(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | (एक) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में रसायन/ जैव-रासायनिकी/भेषजी/ ऊतकपर्ण-टिसूलीफ विश्लेषण समूह तीन के पद संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के पच्चीस प्रतिशत रिक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह'घ' के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा।<br>परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण |

| | |
|---|---|
| | अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा मे ... को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियो ... पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। चूंकि ... 'घ' मृत संवर्ग घोषित है, अतः इस ... समस्त पात्र कार्मिकों के प्रोन्नत होने की ... में भविष्य में प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भ... जायेंगे।<br><br>(दो) पचहत्तर प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। |
| (चार) वनस्पति विज्ञान<br>**(फल एवं सब्जी प्रजनन, विकृति विज्ञान,कवक विज्ञान, विषाणु विज्ञान / शरीर क्रिया विज्ञान / मशरूम / औषध)**<br>समूह तीन के पद | (चार) वनस्पति विज्ञान<br>**(फल एवं सब्जी प्रजनन, विकृति विज्ञान, कवक विज्ञान, विषाणु विज्ञान / शरीर क्रिया विज्ञान / मशरूम / औषध)**<br>समूह तीन के पद |
| (क) बीस प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त अनुभाग के समूह "घ" के ऐसे कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर– प्रदेश / विद्यालयी शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और अपने–अपने पदों पर भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा के आधार पर, विभागीय चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से।<br>(ख) अस्सी प्रतिशत प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा। | (क) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में वनस्पति विज्ञान (फल एवं सब्जी प्रजनन, विकृति विज्ञान, कवक विज्ञान, विषाणु विज्ञान / शरीर क्रिया विज्ञान / मशरूम / औषध) संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के पच्चीस प्रतिशत, रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह'घ' के ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल तथा 10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा।<br><br>परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्तीर्ण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। चूंकि समूह 'घ' मृत संवर्ग घोषित है, अतः इस वर्ग के समस्त पात्र कार्मिकों के प्रोन्नत होने की दशा में भविष्य में प्रोन्नति के पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| | | (ख) पचहत्तर प्रतिशत उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। |
| नियम 6 का संशोधन | 3. | मूल नियमावली के नियम 6 में शब्द " पिछड़े वर्गों" के पश्चात शब्द "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे। |
| नियम 8क का अंतःस्थापन | 4. | मूल नियमावली के नियम 8 के पश्चात नियम 8क अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थातः–<br>"अनिवार्य / वांछनीय अर्हताः<br>8क. उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य / वांछनीय अर्हता नियमावली, 2010 एवं समय--समय पर यथा संशोधित नियमावलियों में निहित प्राविधान / शर्तो / उपबन्धों के अनुसार किये जायेंगे।" |
| नियम 9 का संशोधन | 5. | मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– |

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतदद्वारा प्रस्तावित नियम |
| 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने –<br>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो,<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र किया हो। | 9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसने –<br>(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो,<br>(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। |

| | | |
|---|---|---|
| **नियम 13 का संशोधन** | 6. | मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:– |

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| विद्यमान नियम | एतदद्वारा प्रस्तावित नियम |
| 13. किसी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी | 13. (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की |



5-

| | |
|---|---|
| अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह मूल नियम 10 के अधीन बनाये वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड–दो, भाग तीन के अध्याय तीन में दिये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।<br>परन्तु विभागीय चयन समिति द्वारा नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी। | सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नि... के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित ... जाने उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि ... चिकित्सा परिषद की परीक्षा में सफल ... गया है।<br>(2) सेवा में अन्य पदों के मामले में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2 भाग–तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है:<br>परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के कम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा:<br>परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वास्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| नियम 17 का संशोधन | 7. | मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः– |

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतदद्वारा प्रस्तावित नियम |
|---|---|
| 17. समूह''घ'' में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों, का जो इस सेवा नियमावली के नियम 5 ''भर्ती का स्रोत'' के अनुसार समूह–तीन के पदों पर चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों, चयन नियम 16 द्वारा गठित विभागीय चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। लिखित परीक्षा 50 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, तथा प्रश्न–पत्र से सम्बन्धित शाखा के समूह–तीन में कार्यरत पद धारक द्वारा किये जाने वाले कार्य विषयक प्रश्न होंगे। प्रवीणता सूची, सम्बन्धित कर्मचारीगण द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। | (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर निदेशक उद्यान द्वारा गठित विभागीय चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–<br>(एक) निदेशक,उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण –अध्यक्ष<br>(दो) अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक –सदस्य<br>(तीन) उपनिदेशक, (स्थापना) –सदस्य सचिव<br>(चार) निदेशक द्वारा नामित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का –सदस्य |

| | |
|---|---|
| | सदस्य, जो श्रेणी–1 के स्तर से कम न हो, |
| | (2) नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली 2003 के अनुसार एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे सम्बन्धित अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझा जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा: <br> परन्तु जहाँ किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गो से की जानी हो तो व्यक्तियों के नामों को ज्येष्ठता कम में जैसा कि उनका अपने–अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से अवधारित हो, पात्रता के क्षेत्र में रखते हुये पात्रता सूची तैयार की जायेगी। सूची में ज्येष्ठ व्यक्ति को ही ऊपर रखा जायेगा। इस प्रकार व्यवस्थित करने में समान पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नहीं की जायेगी: <br> परन्तु यह और कि जहाँ पोषक संवर्गो में पद विभिन्न वेतनमानों के हों, तो उच्चतर वेतनमान में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम, पात्रता सूची में पहले रखे जायेंगे, और निम्न वेतनमान में पद धारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके बाद रखे जायेंगे। <br> (3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है। <br> (4) चयन समिति चयनित किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। |

आज्ञा से,

(डा0 हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

...ause (3) of Article 348 of 'the Constitution of India' the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 2459 /2020/ dated, November 20 ,2020 for general information.

**Government of Uttarakhand**
**Agriculture and Farmer Welfare Section-1**
**No. 2459 /XIII-1/2020/1(78)2004**
**Dehradun : Dated : 20 November, 2020**

## Notification

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309, the Governor is pleased to make the following rules in view of amending the Uttarakhand horticulture and food processing subordinate (Group III) Service rules 2009.

**The Uttarakhand horticulture and food processing subordinate (Group III) Service (Amendment)rules 2020.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Short title and commencement | 1. | (1) | These rules may be called the Uttarakhand horticulture and food processing subordinate (Group III) Service(Amendment) rules 2020'. |
| | | (2) | It shall come into force at once |
| Amendment of Rule 5 | 2. | | In the Uttarakhand horticulture and food processing subordinate (Group III) Service rules 2009 (hereinafter referred to as Principal Rules), for the existing Section-A, Section-B, Section-C (i), (ii) and (iv) of rule 5 set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely :- |

| Column-1 (Existing Rule) | Column-2 (Rule as hereby substituted ) |
|---|---|
| Section –A- Horticulture Development (Group III post)<br>(i) 20 percent by promotion from such substantively appointed GroupD employee who have passed High School examination from Board of Secondary Education,Uttarakhand/Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of written examination through selection by Department Selection .<br>(ii ) 80 Percent by direct recruitment through competitive examination. | Section –A- Horticulture Development (Group III post)<br>(i) By promotion 25 percent vacancy of total post of lower category of Horticulture Development Group III post cadre in concerned office according to government order passed time to time by appointing authority from amongst the such Group D employee who has passed the high school examination of Uttarakhand Board of School Education or any examination equivalent to it recognized by Government 15 percent from high school and 10 percent from intermediate passed:<br>Provided that in case of adequate candidate not available against the post marked for high |

| | |
|---|---|
| | school passed such post shall be filled by promotion from higher examination passed candidate where as Group D is Dying cadre therefore in case of promotion of all eligible personnel of this category in future post of promotion shall be filled by direct recruitment.<br>(ii) 75 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Service Selection Board. |
| Section –B- Food Processing<br>(Group III post)<br>(i) (i) 20 percent by promotion from such substantively appointed GroupD employee who have passed High School examination from Board of Secondary Education,Uttarakhand/Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of written examination through selection by Department Selection .<br>(ii )80 Percent by direct recruitment through competitive examination. | Section –B- Food Processing<br>(Group III post)<br>(i) By promotion 25 percent vacancy of total post of lower category of Food Processing Branch Group III post cadre in concerned office according to government order passed time to time by appointing authority from amongst the such Group D employee who has passed the high school examination of Uttarakhand Board of School Education or any examination equivalent to it recognized by Government 15 percent from high school and 10 percent from intermediate passed:<br>Provided that in case of adequate candidate not available against the post marked for high school passed such post shall be filled by promotion from higher examination passed candidate where as Group D is Dying cadre therefore in case of promotion of all eligible personnel of this category in future post of promotion shall be filled by direct recruitment.<br>(ii) 75 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Selection Commission. |

Section –C- Experiment and Training

(i)Horticulture research Group III post)

(a) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group-D employee who have passed High School examination from Board of Secondary Education,Uttarakhand/Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of written examination through selection by Department Selection .

(b) 80 Percent by direct recruitment through competitive examination.

(ii) Chemistry (Chemistry/BioChemistry/Pharmacy/Tissue Leaf analysis)

Group III Post

(a) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group D employee who have passed High School examination from Board of Secondary Education, Uttarakhand/Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of written examination through selection by Department Selection .

(b )80 Percent by direct recruitment through competitive examination.

Section –C- Experiment and Training

(i)Horticulture research Group III post)

(a) promotion 25 percent vacancy of total post of lower category of Horticulture Research Group III post cadre in concerned office according to government order passed time to time by appointing authority from amongst the such Group D employee who has passed the high school examination of Uttarakhand Board of School Education or any examination equivalent to it recognized by Government 15 percent from high school and 10 percent from intermediate passed:

Provided that in case of adequate candidate not available against the post marked for high school passed such post shall be filled by promotion from higher examination passed candidate where as Group D is Dying cadre therefore in case of promotion of all eligible personnel of this category in future post of promotion shall be filled by direct recruitment .

(B) 75 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Selection Commission.

(ii) Chemistry (Chemistry/Bio-Chemistry/Pharmacy/ Tissue Leaf analysis)

Group III post

(a) By promotion 25 percent vacancy of total post of lower category of Chemistry/BioChemistry/Pharmacy/Tissue Leaf analysis Group III post category in concerned office according to government order passed time to time by appointing authority from amongst the such Group c employee who has passed the high school examination of Uttarakhand Board of School Education or any examination equivalent to it recognized by Government 15 percent from high school and 10 percent from intermediate passed:

| | |
|---|---|
| (iv)Botany(fruit and vegetable breeding,pathology,mycology,virology,physiology/Mushroom/Drugs.)<br>Group III post<br>(a) 20 percent by promotion from such substantively appointed Group D employee who have passed High School examination from Board of Secondary Education,Uttarakhand/Uttar Pradesh or any other examination recognized by the Government equivalent there to and have completed five years of service on their respective posts on the first day of written examination through selection by Department Selection .<br>(b )80 Percent by direct recruitment through competitive examination. | Provided that in case of adequate candidate not available against the post marked for high school passed such post shall be filled by promotion from higher examination passed candidate where as Group D is Dying cadre therefore in case of promotion of all eligible personnel of this category in future post of promotion shall be filled by direct recruitment .<br>(b) 75 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Selection Commission.<br><br>(iv)Botany(fruit and vegetable breeding, pathology, mycology, virology, physiology/ Mushroom/Drugs.)<br>Group III post<br>(a) By promotion 25 percent vacancy of total post of lower category of Botany(fruit and vegetable breeding,pathology,mycology,virology,physiology/Mushroom/Drugs.) cadre in concerned office according to government order passed time to time by appointing authority from amongst the such Group D employee who has passed the high school examination of Uttarakhand Board of School Education or any examination equivalent to it recognized by Government 15 percent from high school and 10 percent from intermediate passed:<br>Provided that in case of adequate candidate not available against the post marked for high school passed such post shall be filled by promotion from higher examination passed candidate where as Group D is Dying cadre therefore in case promotion of all eligible personnel of this category in future post of promotion shall be filled by direct recruitment .<br>(B) 75 percent by direct recruitment through Uttarakhand Subordinate Selection Commission. |

| | | |
|---|---|---|
| **Amendment of Rule 6** | 3. | In the Principal Rules, in rule 6 after other word "other Backward classes" words "Economically weaker Section" shall be inserted. |

| | | |
|---|---|---|
| Insertion of rule 8.A | 4. | In the Principal Rules, after rule 8 new rule 8.A shall be inserted as follows ,namely:-<br>**"Compulsory/desirable qualifications:**<br>**8A.** Must hold required qualifications according to provision of essential/ desirable qualification for the recruitment of Group C posts, within the purview of Uttarakhand Public Service Commission and outside the purview of Public Service Commission Rules, 2010 (as amended form time to time)" |
| Amendment of Rule 9 | 5. | In the principal rules for the existing sub rule (2) of rule 9 as set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely; |

| **Column-1 (Existing Rule)** | **Column-2 (Rule as hereby substituted )** |
|---|---|
| 9- A candidate who has-<br>(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or<br>(ii) Obtained a "B" certificates of National Cadet Corps, shall , other things being equal preference be given in the matter of direct recruitment. | 9- A candidate who has-<br>(i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years; or<br>(ii) Obtained a "B" and "C" certificates of National Cadet Corps, shall, other things being equal preference be given in the matter of direct recruitment. |

| | | |
|---|---|---|
| **Amendment of rule 13** | 6. | In the principal rules for the existing of rule 13 as set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely |

| **Column-1 (Existing Rule)** | **Column-2 (Rule as hereby substituted )** |
|---|---|
| No candidate shall be appointed to a post in the service unless he in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance office duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in Chapter III of the financial handbook Volume II, Part III:<br>Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by Department Selection Committee. | Any such candidate shall not be appointed to any post in the service if he is not in good mental and bodily health and not free from all such physical defects which may likely to interfere with the efficient performance of his/her duties. It is required from the candidate before the final approval that he has passed the examination of medical board<br>(2) In matter of other post of service it is required to produce a medical certificate of fitness in accordance to the rules framed under Fundamental Rule10 and contained in chapter 3 of the Financial Hand Book Volume 2, Part 3:<br>Provided that, subsequent to section 33 of the Right of Person with Disabilities |

| | |
|---|---|
| | Act, 2016 (Act 40 of 2016) the post identified for this and the categories identified under section 34 the disabled shall not be denied the appointment as per rules: Provided that it is not required to produce medical certificate for candidate appointed by promotion |

| | | |
|---|---|---|
| Amendment of rule 17 | 17. | In the principal rules for the existing . of rule 17 as set out in column 1 below the rule as set out in column 2 shall be substituted; namely |

| Column-1 (Existing Rule) | Column-2 (Rule as hereby substituted) |
|---|---|
| 17. The selection of such serving group "D" employees having prescribed qualifications for selection to Group III posts in accordance with rule 5 "source of recruitment" of the service rules, the recruitment shall be made by the Departmental Selection Committee constituted under rule 16 through written examination. Written examination will be of 50 marks carrying objective type questions related to the work done by the serving Group III employee of the concerned Branch. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the concerned employee. | 17.Recruitment by promotion on the basis of seniority by rejecting the unfit shall be done through Departmental selection committee constituted by Director Horticulture ,which shall have following:-<br>(i) Director, Horticulture and food processing - Chairman<br>(ii) Additional/Joint director- Member<br>(iii)Additional Director - (Establishment). Member Secretary;<br>(iv)Member of Schedule caste/Schedule tribe nominated by Director not below the rank of class I -Member<br>(2) Appointing Authority shall prepare a eligibility list of candidate according to the Uttarakhand (on post outside the purview of public service commission) selection eligibility list rules, 2003 and shall keep it along with character register and other record concerned with them, as deems fit in front of selection committee:<br>Provided where promotion on post of any category is to be done from more than one feeding cadre then name of person by keeping in eligibility area determined by date of their substantive appointment on their respective post |

eligibility list shall be prepared. person senior in list shall be kept above. Inter seniority of person bearing same post shall not be disturbed in doing such arrangement:

Provided also that where post in feeding cadre are of different grade pay than name of person holding post on higher grade pay shall be kept first in eligibility list ,and name of person holding post of lower grade pay shall be kept afterwards.

(3) Selection committee shall consider the matter of candidates on the basis of records mentioned in sub rule (2) and if it deems necessary than may also take interview of candidates.

(4)Selection committee shall prepare a list of selected candidates in seniority order and shall forward it to appointing authority.

**By order,**

**(Dr. Harbans Singh Chugh)**
Secretary.